न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 58/2019/राजस्व वाद

उनवान

1. मोहनलाल पि. नाथूलाल जाति मेहर नि. सेमलीकल्याण तहसील रायपुर – वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पि. भेरू जाति मेहर नि. सेमलीकल्याण तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , 92 ए , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री रामबाबू मेहरा

निर्णय **दिनांक :** 25/01/23

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम सेमली कल्याण तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 91, 92 ए, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल ने ग्राम सेमली कल्याण के ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व दिशा की विक्रय कर दिनांक 09.05.1996 को इकरारनामा वादी के पक्ष में सरपंच व पंच पटेल की उपस्थिति में लिखा पढी की जिसमें 45000 रूपये में भूमि का बेचान कर मौके पर कब्जा वादी को संभलाया जिस पर वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है। विक्रय एग्रीमेंट इकरारनामा बेचान भूमि कीमत 45000 रूपये में किया गया जिसमें 26000 रूपये दिनांक 09.05.1996 को प्राप्त कर लिये एवं शेष 19000 रूपये दिनांक 10.05.1996 को प्राप्त कर भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा खरीददार को दे दिया तथा बेचान रजिस्ट्री कराने का इकरार किया जिसकी रसीद वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का विक्रय पंजीयन करवाने हेतु कई बार प्रतिवादी से कहा परन्तु वह आना कानी करता रहा। वादी ने जरिये वकील दिनांक 29.09.2019 को नोटिस दिया जिसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद कारण दिनांक 20.08.2019 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने विक्रय विलेख निष्पादित करने से इंकार कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम सेमली कल्याण के ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व दिशा की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वाद पत्र के साथ ग्राम सेमली कल्याण की जमाबंदी खाता सं. 71 की नकल, खसरा गिरदावरी नकल, नक्शा ट्रेस नकल, इकरारनामा दिनांक 09.05.1996 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्र्ड सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया एवं दिनांक 11.03.2022 को प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

वाद पत्र, राजस्व रिकार्ड, इकरारनामा दिनांक 09.05.1996 का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम सेमली कल्याण तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के तन्हा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 09.05.1996 एक अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत अन रजिस्टर्ड दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 09.05.1996 के आधार पर ग्राम सेमली कल्याण तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से वाद वादी खारीज किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:05
Reason: SelfAttested

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 58/2019/राजस्व वाद

उनवान

1. मोहनलाल पि. नाथूलाल जाति मेहर नि. सेमलीकल्याण तहसील रायपुर – वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पि. भेरू जाति मेहर नि. सेमलीकल्याण तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , 92 ए , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री रामबाबू मेहरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत अन रजिस्टर्ड दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 09.05.1996 के आधार पर ग्राम सेमली कल्याण तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से वाद वादी खारीज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २५/०१/२३ को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बावत् इजराय हुक्मनामा		
बावत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner